



दहेज प्रथा का सामाजिक, आर्थिक और कानूनी मूल्यांकन

Dr. Mrityunjay Kumar Rai

Assistant Professor, Department of Law, MBSPG College, Gangapur, Varanasi, UP, India

Vaibhav Singh

LL.M. 3rd Semester, MBSPG College, Gangapur, Varanasi, UP, India

Article Info

Accepted : 02 Feb 2025

Published : 20 Feb 2025

Publication Issue :

January-February-2025

Volume 8, Issue 1

Page Number : 224-233

शोधसारांश— दहेज प्रथा भारतीय समाज की एक पुरानी सामाजिक परंपरा है, जो आज एक गहरी सामाजिक बुराई का रूप ले चुकी है। सामान्यतः दहेज से आशय उस संपत्ति, धन, उपहार या सामग्री से है, जो विवाह के समय वधू पक्ष द्वारा वर पक्ष को दी जाती है। प्रारंभिक वैदिक युग में दहेज एक स्वैच्छिक उपहार हुआ करता था, जो कन्या को उसके नए जीवन की शुरुआत के लिए दिया जाता था। किंतु कालांतर में यह परंपरा विकृत रूप लेकर सामाजिक दबाव और अनिवार्यता में बदल गई।

मुख्य शब्द— दहेज प्रथा, भारतीय, समाज, सामाजिक, आर्थिक, कानूनी, घरेलू हिंसा, आत्महत्या, औचित्य।

वर्तमान समय में दहेज प्रथा ने समाज में कई प्रकार की समस्याओं को जन्म दिया है। यह केवल आर्थिक बोझ नहीं है, बल्कि स्त्रियों के प्रति भेदभाव, हिंसा और असमानता का एक स्पष्ट प्रतीक बन गई है। दहेज से संबंधित घरेलू हिंसा, आत्महत्या और हत्या जैसी घटनाएं आज भी समाज में व्याप्त हैं। शिक्षा, शहरीकरण और जागरूकता के बावजूद यह कुरीति आज भी बड़े पैमाने पर प्रचलित है।

प्रस्तावना: इस लेख का उद्देश्य दहेज प्रथा के सामाजिक, आर्थिक और कानूनी पहलुओं का विश्लेषण करना है। साथ ही, यह समझना भी आवश्यक है कि आधुनिक भारत में दहेज प्रथा की जड़ें इतनी गहरी क्यों हैं, और इससे निपटने के लिए कानून, समाज और व्यक्ति की क्या भूमिका हो सकती है।

दहेज प्रथा का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य:

1 उत्तर वैदिक काल: ऋग्वेदक काल में दहेज प्रथा का कोई औचित्य या मान्यता नहीं थी। अथर्ववेद के अनुसार उत्तरवैदिक काल में वहतु के रूप में इस प्रथा का प्रचलन शुरू हुआ जिसका स्वरूप वर्तमान दहेज व्यवस्था से पूरी तरह भिन्न था। इस काल में युवती के पिता उसे पति के घर विदा करते समय कुछ तोहफे देता था, लेकिन उसे दहेज नहीं उपहार माना जाता था। यह पूर्व निश्चित नहीं होता था। उस समय पिता को जो देना सही लगता था अपनी इच्छा से दे देता था जिसेवर पक्ष सहर्ष स्वीकार कर लेता था। इसमें न्यूनतम अधिकतम जैसी कोई सीमा निर्धारित नहीं थी। इस वस्तु पर पति या ससुराल

वालों का अधिकार नहीं होता था बल्कि यह उस संबंधित स्त्री के लिए उपहार होता था। इस काल में लिखे गए धर्म ग्रंथों और पौराणिक कथाओं में काही भी दहेज से संबंधित कोई प्रसंग भी नहीं उल्लिखित किया गया।

एसू आरू शास्त्री के अनुसार “वैदिक युग में पत्नी पति के सुख-दुख उसकी सहचरी थी, कुटुम्ब की स्वामिनी तथा उसकी सभी लौकिक एवं आध्यात्मिक गतिविधियों में भागीदार थी। इस युग के दौरान महिलाओं ने कृषि में सक्रिय रूप से भाग लिया तथा पुरुष के साथ धनु-बाण तथा अन्य सार्वजनिक उपयोग की वस्तुओं के निर्माण में सहयोग किया। धार्मिक क्षेत्र में भी महिलाओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया।”^a एसूएसअलतेकर का मत है की “धार्मिक जीवन के मामलों में जो इस काल के दौरान लोगों के जीवन का बहुत महत्वपूर्ण आमेलित अन्तर्भूत करने वाला पहलू है, हमें निश्चित रूप से यह ज्ञात है की महिलाओं ने इसमें सक्रिय रूप से भागीदारी की। महिलाओं ने बहुत से महत्वपूर्ण यज्ञों में घर की स्त्री न केवल भाग लेती थी बल्कि वह अनुष्ठान का महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य भाग होती थी इस काल के दौरान विधवा विवाह अनुज्ञात था इसलिए पूर्णतया हम यह कह पाते हैं की वैदिक काल में महिलाओं को यदि उच्चतर दर्जा नहीं तो बराबर का दर्जा प्राप्त था।”

2. मध्य काल : मध्य काल में इस वहतु को स्त्रीधन के नाम से पहचान मिलने लगी। इसका स्वरूप वहतु के ही समान था। पिता अपनी इच्छा और काबलियत के अनुरूप धन या तोहफे देकर बेटी को विदा करता था। इसका पीछे मुख्य कारण यह था कि जो उपहार वो अपनी बेटी को दे रहा है वह किसी परेशानी में या फिर किसी बुरे समय में उसके और उसके ससुरार वालों के काम आएगा। इस स्त्रीधन से ससुराल पक्ष का कोई संबंध नहीं होता था। अब विदाई के समय धन को भी महत्व दिया जाने लगा था। विशेषकर राजस्थान के उच्च संपन्न राजपूतों ने इस प्रथा को अत्याधिक बढ़ा दिया। इसके पीछे उनका मन्तव्य ज्यादा से ज्यादा धन व्यय कर अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाना था। यही से इस प्रथा की शुरुआत हुई जिसमें स्त्रीधन शब्द पूरी तरह से गौण हो गया और दहेज शब्द की उत्पत्ति हुई।

3. आधुनिक काल : वर्तमान समय में दहेज व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था, ऐसी प्रथा का रूप ग्रहण कर चुकी है जिसके अंतर्गत युवती के माता-पिता और परिवारवालों का सम्मान दहेज में दिए गए धन दौलत पर ही निर्भर करता है। वर-पक्ष सरेआम अपने बेटे का सौदा करता है प्राचीन परंपराओं के नाम पर युवती के परिवारवालों के ऊपर दबाव डाल उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। इस व्यवस्था ने समाज के सभी वर्गों को अपने चपेट में ले लिया है। संपन्न परिवारों को दहेज लेने या देने में कोई बुराई नजर नहीं आती, क्योंकि उन्हें यह मात्र एक निवेश लगता है। उनका मानना है की धन और उपहारों के साथ बेटी विदा करेंगे तो यह उनके मान-सम्मान को बढ़ाने के साथ-साथ बेटी को भी खुशहाल जीवन देगा। लेकिन निर्धन अभिवावकों के लिए बेटी का विवाह करना भारी पड़ जाता है। वह जानते हैं की अगर दहेज का प्रबंध नहीं किया गया तो विवाह के पश्चात बेटी का ससुराल में जीना दूभर बन जाएगा। वर्तमान दहेज समस्या हिन्दू वैवाहिक संस्कार के दो कारणों से हुई है – कन्यादान और वरदक्षिणा। संयुक्त संसदीय समिति ने इन तथ्यों पर गंभीरता पूर्वक विचार किया था। संसदीय समिति ने कहा था की दहेज समस्या की उत्पत्ति कुछ विशेष कारणों से हुई है। प्राचीन समय में विवाह के संस्कार और रीति-रिवाज कन्यादान के साथ जुड़े थे। हिन्दू धर्मशास्त्रों के अनुसार धार्मिक रूप से किया गया कोई भी दान तब तक पूर्ण नहीं माना जाता था जबतक प्राप्तकर्ता को कुछ दक्षिणा न दिया जाय। इसलिए जब दूल्हे को कन्या दान के रूप में दी जाती थी तो उपहार के रूप में कुछ

नगद दिया जाता था जिसे वर दक्षिणा कहा जाता था। परंतु वर दक्षिणा का यह स्वरूप सभी सभी हिन्दू समुदाय में प्रचलित नहीं था। ब्राह्मणों के अतिरिक्त अन्य हिन्दू समुदाय में इसका प्रचलन नहीं था। ब्राह्मण को छोड़कर अन्य वर्गों में वर दक्षिणा विवाह का आवश्यक अंग नहीं माना जाता था। 'सप्तपदी' एवं विवाह का आवश्यक अंग माना जाता था। संसदीय समिति ने वरदक्षिणा की तुलना दहेज से किया है। समिति का कहना है वरदक्षिणा की तुलना दहेज से किया है। समिति का कहना है वर दक्षिणा अथवा दहेज में उन दिनों आभूषण और कपड़े भी सम्मिलित थे जिसे दुल्हन में माता-पिता द्वारा दूल्हे को दिया जाता था।¹

संसदीय समिति का पुनः कथन है कि –“यह वर दक्षिणा स्नेहवस दिया जाता था और यह विवाह के प्रतिफल या दबाव में नहीं दिया जाता था धर्मशास्त्रों का भी कथन है की वृत्ति एवं आभूषण दुल्हन की सम्पत्ति थी और वे स्त्रीधन का निर्माण करते थे। ऐसी सम्पत्ति पर दुल्हन का पूरा अधिकार होता था और विपरीत परिस्थितियों में महिला को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता था।”

दहेज प्रथा के सामाजिक पक्ष:

दहेज प्रथा भारतीय समाज में एक गहरी जड़ें जमा चुकी सामाजिक कुरीति है, जिसने महिलाओं के अस्तित्व, सम्मान और स्वतंत्रता पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रहार किया है। यह प्रथा विवाह संस्था को एक पवित्र बंधन से अधिक आर्थिक और सामाजिक सौदे का रूप दे देती है। समाज में व्याप्त पितृसत्तात्मक सोच इस समस्या को और भी अधिक गहराती है, जहाँ पुत्र को 'धन अर्जक' और कन्या को 'पराया धन' मानने की प्रवृत्ति प्रचलित है।

भारत के विभिन्न भागों में विवाह की संरचना और रिश्तों की प्रणाली दहेज प्रथा को प्रभावित करती है। उत्तर भारत में विवाह प्रायः पैतृक निवास प्रणाली (पति के परिवार के साथ रहना) का पालन करता है, जहाँ दूल्हा आमतौर पर परिवार का बाहरी सदस्य होता है। इस व्यवस्था में विवाह के बाद लड़की के परिवार की भूमिका लगभग समाप्त हो जाती है, जिससे दहेज एक प्रकार की पूर्व-मृत्यु उत्तराधिकार के रूप में देखा जाता है, जो विवाह के समय लड़की को दिया जाता है।

दक्षिण भारत में विवाह प्रायः परिवार के अंदर, जैसे कि चचेरे भाइयों या अन्य निकट संबंधियों के साथ होता है, और विवाह के बाद भी लड़की का अपने मायके से संपर्क बना रहता है। इसके अलावा, दक्षिण भारत में कई जगहों पर बेटियों को जमीन में हिस्सेदारी मिलती है, जिससे उनकी विवाह में स्वयं की आर्थिक मूल्यवत्ता बढ़ जाती है और दहेज की जगह वर मूल्य प्रणाली अधिक देखने को मिलती है।

विवाह की इन परंपराओं के साथ-साथ, सामाजिक रीतिरिवाज और माता-पिता की दहेज को लेकर अपेक्षाएं भी दहेज प्रथा को कायम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक 1995 के अध्ययन में पाया गया कि लोगों की सोच भले ही दहेज के प्रति बदल रही हो, लेकिन दहेज की परंपरा अब भी मजबूत बनी हुई है। एक अन्य अध्ययन 1980 में राव द्वारा

¹अतुल कुमार सिंह (दहेज हत्या चुनौतियाँ एवं समाधान)

किया गया, जिसमें 75% छात्रों ने कहा कि विवाह में दहेज की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन उन छात्रों के 40% माता-पिता शायद दहेज की अपेक्षा रखते थे।

हालाँकि भारत में महिलाओं के अधिकारों को लेकर प्रगति हो रही है, फिर भी महिलाओं की पारिवारिक स्थिति अधीनस्थ बनी हुई है। महिलाओं की शिक्षा, आय और स्वास्थ्य जैसे कारक यह तय करते हैं कि विवाह में उनकी कितनी भागीदारी और नियंत्रण होगा, और ये कारक दहेज प्रणाली को प्रभावित करते हैं।

1. महिलाओं और उनके परिवारों पर प्रभाव: दहेज की मांग विवाह से पूर्व, विवाह के दौरान और कई बार विवाह के वर्षों बाद तक चलती रहती है। इसका सबसे बड़ा प्रभाव महिलाओं पर पड़ता है – उन्हें अपने ससुराल में आर्थिक लेन-देन की वस्तु समझा जाता है। यदि अपेक्षित दहेज नहीं मिलता, तो बहू को तिरस्कार, मानसिक प्रताड़ना, घरेलू हिंसा, यहाँ तक कि मृत्यु का भी सामना करना पड़ता है। यह सामाजिक दबाव कन्या के माता-पिता पर भी पड़ता है, जो अपनी आर्थिक सीमाओं के बावजूद 'सम्मान बचाने' के लिए भारी दहेज देने को मजबूर होते हैं।

2. पितृसत्ता और सामाजिक परंपराएँ: दहेज प्रथा का संबंध सीधे पितृसत्तात्मक समाज से है, जहाँ स्त्रियों को द्वितीय दर्जे का नागरिक माना जाता है। विवाह के समय कन्या को बोझ समझना, और दहेज को पुत्रवधू की 'कीमत' मान लेना इस मानसिकता का परिचायक है। कई बार शिक्षित और संपन्न परिवार भी दहेज को परंपरा या 'status symbol' मानकर इसका खुलेआम समर्थन करते हैं।

3. दहेज से जुड़े अपराध: दहेज प्रथा से उत्पन्न अपराधों की संख्या चिंताजनक है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार, वर्ष 2022 में भारत में लगभग 6,500 से अधिक दहेज हत्याओं की सूचना दर्ज की गई। इसके अतिरिक्त, घरेलू हिंसा, आत्महत्या, मानसिक उत्पीड़न जैसी घटनाएँ भी लगातार सामने आती हैं। कई बार पीड़िताएँ न्याय तक पहुँचने से पहले ही सामाजिक दबाव और पारिवारिक शर्म के कारण चुप रह जाती हैं।

4. सामाजिक स्वीकार्यता और चुप्पी: दहेज जैसी कुरीति के खिलाफ समाज में स्पष्ट विरोध की कमी भी इसकी जड़ों को मजबूत करती है। अधिकतर लोग इसे सामाजिक परंपरा मानते हैं और खुले विरोध से बचते हैं। यहाँ तक कि महिलाएँ भी, विशेषतः वृद्ध पीढ़ी की महिलाएँ, इसे 'नियम' मानकर आगे बढ़ाती हैं। यह सामाजिक चुप्पी दहेज प्रथा को एक 'सामान्य व्यवहार' के रूप में स्थापित कर चुकी है बिल्कुल, चूँकि यह लेख एक पीयर-रिव्यू जर्नल में प्रकाशन हेतु तैयार किया जा रहा है, इसलिए इसकी भाषा को अधिक शोधपरक, तथ्यात्मक, और संतुलित अकादमिक शैली में विस्तारित करना आवश्यक है। नीचे मैं आपके "III. दहेज के आर्थिक पक्ष" अनुभाग को इस उद्देश्य के अनुरूप अधिक गहराई से, शोध-आधारित, और संदर्भों सहित प्रस्तुत कर रहा हूँ:

दहेज के आर्थिक पक्ष:

1. दहेज एक आर्थिक लेन-देन के रूप में: भारत में दहेज प्रथा का विकास सामाजिक अनुष्ठान के रूप में हुआ था, जिसमें माता-पिता अपनी पुत्री को विवाह के उपरांत आर्थिक सुरक्षा देने हेतु उपहार, आभूषण, संपत्ति या अन्य चल-अचल वस्तुएं प्रदान करते थे। किंतु कालांतर में यह प्रथा एक संगठित आर्थिक लेन-देन में रूपांतरित हो गई। दहेज अब विवाह की

प्रक्रिया का एक अनिवार्य और अनौपचारिक "व्यावसायिक अनुबंध" बन गया है, जिसमें वधू पक्ष को वर पक्ष की सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक स्थिति के आधार पर भुगतान करना पड़ता है। इसे एक प्रकार की अदृश्य विवाह बाजार व्यवस्था (Invisible Marriage Market) भी कहा जा सकता है, जहाँ वर की "कीमत" निर्धारित की जाती है।

वर्तमान में दहेज की राशि का निर्धारण कई कारकों—जैसे वर की नौकरी, आय, शिक्षा, और परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा—पर निर्भर करता है। विशेषकर शासकीय पदों, इंजीनियरिंग, चिकित्सा अथवा प्रवासी (NRI) वरों के लिए दहेज की मांग अत्यधिक होती है, जिसे कभी-कभी खुलकर 'रेट' के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। यह प्रवृत्ति विवाह को सामाजिक संस्था के स्थान पर वाणिज्यिक लेन-देन में बदल देती है, जो स्त्री की गरिमा, स्वायत्तता और समानता के मूल संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन है।

2. वधू पक्ष पर आर्थिक बोझ: दहेज की मांगों का सबसे गहरा प्रभाव वधू पक्ष, विशेषकर निम्न एवं मध्यम वर्गीय परिवारों पर पड़ता है। लड़कियों के माता-पिता विवाह के लिए वित्तीय दबाव, ऋण का बोझ, और संपत्ति की विक्रय जैसी परिस्थितियों का सामना करते हैं। कई बार माता-पिता वर्षों तक अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा केवल पुत्री के विवाह हेतु बचत करने में व्यतीत करते हैं, जिससे अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति बाधित होती है।

विवाह को लेकर आर्थिक असंतुलन का यह तनाव केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक सामाजिक चिंता का विषय बन गया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों के अनुसार, भारत में प्रतिवर्ष लगभग 6,500 से अधिक दहेज मृत्यु (Dowry Deaths) दर्ज होती हैं, जिनका प्रमुख कारण दहेज की पूर्ति न होना होता है^[1]। इसके अतिरिक्त, लाखों महिलाएं मानसिक उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, और सामाजिक बहिष्कार का शिकार होती हैं। विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में, जहां सामाजिक प्रतिष्ठा का मापदंड विवाह की "धूमधाम" से जुड़ा होता है, वहां आर्थिक बोझ और भी अधिक तीव्र हो जाता है। इससे महिला शिक्षा, स्वास्थ्य और सशक्तिकरण जैसे अन्य सामाजिक क्षेत्रों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

3. वर्ग भेद और आर्थिक स्थिति का प्रभाव: दहेज प्रथा का प्रभाव समाज के विभिन्न वर्गों में भिन्न होता है, किंतु यह सभी वर्गों में व्याप्त है। उच्च वर्ग में यह एक "स्टेटस सिंबल" के रूप में देखा जाता है, जहाँ दहेज की विशाल राशि को सामाजिक प्रतिष्ठा और आर्थिक सम्पन्नता का परिचायक माना जाता है। ऐसे परिवारों में दहेज एक दिखावटी प्रदर्शन का माध्यम बन जाता है, जिससे सामाजिक असमानता को और बल मिलता है। वहीं, मध्यम और निम्न वर्गीय परिवारों में यह प्रथा एक सामाजिक दबाव और अनिवार्यता का रूप ले लेती है। यहाँ दहेज केवल "इच्छा" नहीं, बल्कि "आवश्यकता" बन जाती है। इससे उत्पन्न होने वाले वर्गीय भेद (Class Division) समाज में आर्थिक असंतुलन को और अधिक गहरा करते हैं।

इसके अतिरिक्त, ग्रामीण भारत में आर्थिक संसाधनों की सीमितता के बावजूद दहेज की मांगें अधिक होती हैं, जिससे कई परिवार गंभीर आर्थिक संकट में चले जाते हैं। अनुसूचित जातियों, जनजातियों, और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों में दहेज से संबंधित हिंसा की घटनाएं तुलनात्मकरूप से अधिक पाई जाती हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि दहेज केवल सांस्कृतिक नहीं, बल्कि एक गंभीर आर्थिक अन्याय का विषय है।

दहेज प्रथा का कानूनी दृष्टिकोण :

1. भारतीय संविधान में : भारत में दहेज प्रथा एक गंभीर सामाजिक बुराई है, जो न केवल महिलाओं के अधिकारों का हनन करती है बल्कि उनके जीवन एवं सम्मान को भी खतरे में डालती है। भारतीय संविधान ने नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और गरिमा के साथ जीने का अधिकार प्रदान किया है। दहेज प्रथा इन अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन करती है। इसके संवैधानिक पक्ष को निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है:

i. अनुच्छेद 14 – समानता का अधिकार : यह अनुच्छेद राज्य को यह निर्देश देता है कि वह सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता और कानून के संरक्षण की समानता प्रदान करे। दहेज प्रथा महिलाओं के साथ भेदभाव करती है और उन्हें केवल एक आर्थिक बोझ या संपत्ति के रूप में देखने को बढ़ावा देती है, जिससे यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है।

ii. अनुच्छेद 15 – भेदभाव के विरुद्ध अधिकार: अनुच्छेद 15(1) के अंतर्गत राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता।

दहेज प्रथा महिलाओं के विरुद्ध लिंग आधारित भेदभाव का एक उदाहरण है, जिससे यह अनुच्छेद 15 का भी उल्लंघन करती है।

iii. अनुच्छेद 21 – जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार: यह अनुच्छेद प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है।

दहेज के कारण आत्महत्याएँ, हत्या, शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न जैसी घटनाएँ होती हैं, जो व्यक्ति के जीवन और गरिमा को नष्ट करती हैं और अनुच्छेद 21 के मूल तत्वों का उल्लंघन करती हैं।

iv. अनुच्छेद 39 – नीति निर्देशक सिद्धांत: अनुच्छेद 39 (a) के अंतर्गत राज्य को यह सुनिश्चित करना होता है कि पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान आजीविका के साधनों तक पहुँच मिले। दहेज प्रथा महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से निर्भर और कमजोर बनाती है, जो राज्य की इस नीति के विरुद्ध है।

v. अनुच्छेद 51A – मूल कर्तव्य : इस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वे महिलाओं के सम्मान और गरिमा की रक्षा करें। दहेज लेना और देना दोनों ही इस कर्तव्य का उल्लंघन है, क्योंकि इससे महिलाओं की गरिमा का अपमान होता है।

दहेज प्रथा न केवल एक सामाजिक अपराध है बल्कि यह भारतीय संविधान के मूल सिद्धांतों के भी विपरीत है। इस प्रथा के विरुद्ध कठोर कानूनों के साथ-साथ संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूकता भी आवश्यक है ताकि समाज में महिलाओं को वास्तविक समानता, गरिमा और सुरक्षा मिल सके।

2. अन्य कानून :²

²<https://blog.ipleaders.in/laws-prohibiting-dowry-india/>

i. **दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961**: दहेज प्रथा की बुराइयों को ध्यान में रखते हुए भारत में दहेज निषेध अधिनियम, 1961 पारित किया गया। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 “दहेज देना या लेना प्रतिसिद्ध करने के लिए” अधिनियमित किया गया है। दहेज पर विधि निर्माण करने की शक्ति केन्द्रीय संसद के अतिरिक्त राज्यों को भी प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 254 के अनुसार यदि दहेज अधिनियम 1961 तथा राज्यों द्वारा बनाये गये दहेज कानून के बीच टकराव होगा तो केंद्र निर्मित दहेज अधिनियम को अधिनियम को ही वरीयता प्राप्त होगी।

अधिनियम के मुख्य प्रावधान निम्न हैं-

(क). **दहेज देने और लेने पर दंड (धारा 3)**: धारा 3 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात दहेज देता है, लेता है या दहेज देने या लेने में उकसाता है, तो उसे कम से कम पंद्रह हजार रुपये या दहेज की कीमत के बराबर (जो भी अधिक हो) के जुर्माने के साथ कारावास की सजा दी जाएगी।

(ख). **दहेज की मांग करने पर दंड (धारा 4)**: धारा 4 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति सीधे या परोक्ष रूप से वधू या वर के माता-पिता, संबंधियों या अभिभावकों से दहेज की मांग करता है, तो उसे छह माह से कम की नहीं और दो वर्ष तक की कारावास तथा दस हजार रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।

(ग). **विज्ञापन पर प्रतिबंध (धारा 4-क)**: धारा 4-क के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति विवाह के लिए संपत्ति, व्यापार, धन आदि में हिस्सेदारी के बदले किसी समाचारपत्र, पत्रिका या किसी अन्य माध्यम से विज्ञापन देता है, तो उसे छह माह से कम की नहीं और पंद्रह हजार रुपये तक के जुर्माने के साथ कारावास की सजा दी जा सकती है।

(घ). **अपराध का संज्ञान (धारा 7)**: धारा 7 के अनुसार, इस अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध की सुनवाई प्रथम श्रेणी के महानगरीय दंडाधिकारी या उससे उच्च पदस्थ न्यायाधीश द्वारा ही की जाएगी। न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान केवल पीड़ित, पीड़ित के माता-पिता या संबंधियों की रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट या स्वयं अपराध से संबंधित तथ्यों की जानकारी के आधार पर ही ले सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने **पांडुरंग शिवराम कवठकर बनाम महाराष्ट्र राज्य**³ के मामले में यह निर्णय दिया कि विवाह से पूर्व दहेज की मात्र मांग करना ही एक अपराध है।

वहीं, **भूरा सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य**⁴ के मामले में न्यायालय ने कहा कि मृतका ने अपने ससुराल वालों द्वारा जलाए जाने से पहले अपने पिता को पत्र लिखा था, जिसमें उल्लेख किया गया था कि उसे दहेज की मांग पूरी न करने पर प्रताड़ित, उत्पीड़ित और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी जा रही है। अतः न्यायालय ने माना कि धारा 4 के अंतर्गत दहेज की मांग का अपराध किया गया है।

ii. **भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) / भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC)**:

³2001 Cr LJ 2792 SC

⁴1993 Cri LJ 2636 All

(क). दहेज मृत्यु (भारतीय दंड संहिता की धारा 304-बी / भारतीय न्याय संहिता की धारा 80) :जब किसी महिला की मृत्यु किसी जलने या शारीरिक चोट के कारण या सामान्य परिस्थितियों के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से उसकी शादी के सात वर्षों के भीतर होती है, और यह सिद्ध होता है कि मृत्यु से पहले उसे उसके पति या पति के किसी संबंधी द्वारा दहेज की मांग के लिए प्रताड़ित या उत्पीड़ित किया गया था, तो ऐसी मृत्यु को "दहेज मृत्यु" कहा जाएगा, और ऐसा पति या संबंधी उसकी मृत्यु का कारण माना जाएगा।

व्याख्या- इस उपधारा के प्रयोजन हेतु "दहेज" का वही अर्थ होगा जो दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 2 में वर्णित है।

2. जो कोई दहेज मृत्यु करता है, उसे सात वर्ष से कम की नहीं किन्तु आजीवन कारावास तक की सजा दी जाएगी।

वेमुरी वेंकटेश्वर राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य⁵ के मामले में न्यायालय ने धारा 304-बी के अंतर्गत अपराध सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं:

1. यह कि आरोपी द्वारा दहेज की मांग की गई हो और मृतका को प्रताड़ित किया गया हो,
2. यह कि मृतका की मृत्यु हो चुकी हो,
3. यह कि मृत्यु अप्राकृतिक परिस्थितियों में हुई हो।

यदि यह सिद्ध हो जाए कि दहेज की मांग की गई थी, प्रताड़ना हुई थी और विवाह के 7 वर्षों के भीतर मृत्यु हुई है, तो अन्य तत्व स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं और धारा 304-बी के अंतर्गत अपराध प्रमाणित माना जाता है।

iii. भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए तथा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 85 -

● **पति या पति के संबंधियों द्वारा महिला को Cruelty (क्रूरता) का शिकार बनाना:** यदि कोई पति या किसी महिला का पति का संबंधी उस महिला को क्रूरता का शिकार बनाता है, तो उसे तीन वर्ष तक की कारावास की सजा दी जा सकती है और साथ ही वह जुर्माने के लिए भी दायित्वशील होगा।

व्याख्या: इस धारा के उद्देश्य से "क्रूरता" का अर्थ है -

1. कोई भी ऐसा जानबूझकर किया गया व्यवहार जो इस प्रकार की प्रकृति का हो कि जिससे महिला आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो या जिससे उसके जीवन, अंग, या स्वास्थ्य (चाहे मानसिक हो या शारीरिक) को गंभीर चोट या खतरा हो सकता है; या
2. महिला को इस प्रकार प्रताड़ित करना, जिसका उद्देश्य उसे या उसके किसी रिश्तेदार को किसी अवैध मांग को पूरा करने के लिए बाध्य करना हो, जैसे किसी संपत्ति या कीमती वस्तु की मांग; या उस महिला या उसके किसी रिश्तेदार द्वारा ऐसी मांग पूरी न कर पाने के कारण प्रताड़ित करना।

⁵1992 Cri. LJ. 563 A.P.

भूरा सिंह बनाम राज्य⁶ के मामले में यह निर्णय दिया गया कि पति और ससुराल वालों ने पत्नी को कम दहेज लाने के कारण Cruelty (क्रूरता) का शिकार बनाया और अंततः उसे जला दिया। इसके परिणामस्वरूप, उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए के तहत अपराध का दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा और 500 रुपये का जुर्माना दिया गया।

पुलिस और न्यायपालिका की चुनौतियाँ: भारत में दहेज से संबंधित अपराधों को रोकने के लिए कड़े कानून बनाए गए हैं, जैसे कि दहेज निषेध अधिनियम, 1961, आईपीसी की धारा 498A और 304B, परंतु इनका प्रभावी क्रियान्वयन कई कारणों से बाधित होता है।

1. पुलिस संबंधी चुनौतियाँ:

(क). **जाँच में लापरवाही:** पुलिस अधिकारी कई बार दहेज प्रताड़ना की शिकायतों को गंभीरता से नहीं लेते, जिससे अपराधी सजा से बच जाते हैं।

(ख). **प्रभाव और भ्रष्टाचार:** आरोपी पक्ष के राजनीतिक या सामाजिक प्रभाव के चलते जाँच निष्पक्ष नहीं हो पाती। पीड़िता की सुरक्षा का अभाव: पीड़िता को प्राथमिकी दर्ज कराने या गवाही देने में भय होता है, पर पुलिस पर्याप्त सुरक्षा नहीं देती।

(ग). **प्रशिक्षण की कमी:** पुलिस बल को महिला कानूनों व संवेदनशील मामलों में पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं मिल पाता।

2. न्यायपालिका संबंधी चुनौतियाँ:

(क). **मामलों की धीमी सुनवाई:** दहेज से जुड़े मामलों में न्याय मिलने में वर्षों लग जाते हैं, जिससे पीड़िता हतोत्साहित होती है।

(ख). **सबूतों का अभाव:** घरेलू हिंसा और मानसिक उत्पीड़न जैसे मामलों में प्रत्यक्ष साक्ष्य कम होते हैं, जिससे सजा दिलाना कठिन हो जाता है।

(ग). **कानून के दुरुपयोग की संभावना:** कई बार दहेज विरोधी कानूनों का गलत इस्तेमाल कर झूठे केस भी दायर किए जाते हैं, जिससे न्यायपालिका के सामने निष्पक्षता बनाए रखने की चुनौती खड़ी हो जाती है।
लैंगिक पूर्वाग्रह: कुछ मामलों में न्यायिक अधिकारियों में भी पितृसत्तात्मक सोच देखने को मिलती है, जो निर्णयों को प्रभावित कर सकती है।

दहेज कानूनों का दुरुपयोग: 498A जैसी धाराओं के अंतर्गत कुछ मामलों में झूठे आरोप लगने के उदाहरण भी सामने आए हैं, जिससे पूरे कानून की विश्वसनीयता पर प्रभाव पड़ा है। कुछ परिवारों ने इसे व्यक्तिगत प्रतिशोध का हथियार भी बनाया है। इस कारण न्यायपालिका ने समय-समय पर सख्त टिप्पणियाँ भी की हैं और निर्देश दिए हैं कि गिरफ्तारी से पहले प्रारंभिक जांच आवश्यक है।

कानूनों का दुरुपयोग: न्यायिक दृष्टिकोण : दहेज प्रताड़ना से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा 498A महिलाओं को संरक्षण देने हेतु बनाई गई थी, लेकिन समय के साथ इसके दुरुपयोग की घटनाएँ भी सामने आईं। इस संदर्भ में **राजेश शर्मा**

⁶1993 Cri . LJ 2636 All

बनाम उत्तर प्रदेश राज्य⁷ एक महत्वपूर्ण निर्णय है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि कई मामलों में यह धारा वर पक्ष और उनके परिजनों को परेशान करने के लिए प्रयोग की जाती है। कोर्ट ने आदेश दिया कि प्रत्येक जिले में एक फैमिली वेलफेयर कमेटी गठित की जाए, जो ऐसे मामलों की प्रारंभिक जांच करे और जब तक रिपोर्ट न आ जाए, गिरफ्तारी न की जाए।

इसी प्रकार, **अरणेश कुमार बनाम बिहार राज्य**⁸ में भी सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर गंभीर चिंता व्यक्त की। अदालत ने यह निर्देश दिया कि पुलिस बिना जांच के 498A के अंतर्गत तुरंत गिरफ्तारी न करे। साथ ही, धारा 41 CRPC के तहत यह अनिवार्य कर दिया कि गिरफ्तारी से पहले उचित कारण लिखित रूप में दर्ज किया जाए। यह निर्णय न्यायिक प्रणाली को दुरुपयोग से बचाने की दिशा में एक अहम कदम माना गया।

तीसरा महत्वपूर्ण निर्णय **प्रेमा साजन बनाम केरल राज्य**⁹ जिसमें कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि झूठे दहेज मामलों से न केवल निर्दोष व्यक्तियों को हानि होती है, बल्कि इससे विवाह संस्था की गरिमा भी प्रभावित होती है। कोर्ट ने झूठे आरोप लगाने को न्यायालय और समाज – दोनों के लिए चिंताजनक बताया।

बिल्कुल, नीचे मैं आपके लेख के लिए एक उपयुक्त और प्रभावशाली "उपसंहार (Conclusion)" का ड्राफ्ट दे रहा हूँ, जो लेख के सामाजिक, कानूनी और आर्थिक तीनों पहलुओं को समेटता है और आगे की राह भी सुझाता है:

निष्कर्ष : भारत में दहेज प्रथा एक जटिल सामाजिक समस्या है, जिसकी जड़ें परंपराओं, पितृसत्तात्मक सोच और आर्थिक असमानताओं में गहराई से समाई हुई हैं। यद्यपि दहेज निषेध अधिनियम, 1961 और भारतीय दंड संहिता की धाराएँ 304बी व 498ए जैसी कानूनी व्यवस्थाओं ने इस कुप्रथा को रोकने की दिशा में अहम भूमिका निभाई है, लेकिन इन कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन में कई चुनौतियाँ अब भी विद्यमान हैं।

दहेज से जुड़े अपराध आज भी समाज के हर वर्ग में व्याप्त हैं, और कानूनों के दुरुपयोग की घटनाओं ने न्यायपालिका को भी संतुलित दृष्टिकोण अपनाने के लिए विवश किया है। सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो दहेज महिलाओं के आत्म-सम्मान, स्वतंत्रता और जीवन सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है, वहीं आर्थिक दृष्टिकोण से यह विवाह को एक आर्थिक सौदे में बदल देता है, जो वधू पक्ष पर भारी वित्तीय बोझ डालता है।

इस समस्या से प्रभावी रूप से निपटने के लिए केवल कड़े कानून पर्याप्त नहीं हैं। इसके लिए समाज में सार्थक बदलाव, मानसिकता में सुधार, और सशक्त जागरूकता अभियान की आवश्यकता है। साथ ही, कानूनों में समय-समय पर आवश्यक सुधार कर उन्हें यथार्थवादी और संतुलित बनाना भी जरूरी है, ताकि वे न केवल पीड़ितों को न्याय दिला सकें, बल्कि निर्दोष लोगों को झूठे मामलों से भी बचा सकें।

अतः दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए एक समेकित रणनीति की आवश्यकता है – जिसमें कानूनी सख्ती, सामाजिक सुधार, और शिक्षा के माध्यम से मानसिकता परिवर्तन को समान रूप से प्राथमिकता दी जाए।

⁷(2017) 8 SCC 746

⁸(2014) 8 SCC 273

⁹(2003) 12 SCC 364

संदर्भ सूची / ग्रंथ सूची

1. Agnes, Flavia, Law and Gender Inequality: The Politics of Women's Rights in India, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 2001।
2. Sharma, Ursula, Dowry in North India: Its Consequences for Women, बर्ग पब्लिशर्स, ऑक्सफोर्ड, 1984।
3. कुमार, रंजना, Brides Are Not for Burning: Dowry Victims in India, रेडियंट पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 1989।
4. अतुल कुमारसिंह , दहेज हत्या: चुनौतियाँ एवं समाधान, प्रकाशन, वर्ष ज्ञात नहीं।
5. दहेज निषेध अधिनियम, 1961, भारत सरकार द्वारा पारित अधिनियम संख्या 28, वर्ष 1961।
6. भारतीय दंड संहिता, 1860, विशेष रूप से धारा 304B एवं 498A।
7. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB), भारत में अपराध 2022, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, उपलब्ध: <https://ncrb.gov.in> (अंतिम अभिगमन तिथि: 17 अप्रैल 2025)।
8. विधि आयोग, दहेज निषेध कानूनों पर रिपोर्ट, भारत सरकार।
9. Nair, Janaki, "Women's Struggles and the Politics of Representation: A Historical Perspective", Economic and Political Weekly, खंड 30, अंक 48, 1995, पृ. 3081।
10. Srinivasan, P. एवं Bedi, A. S., "Domestic Violence and Dowry: Evidence from a South Indian Village", World Development, खंड 35, अंक 5, 2007।
11. पांडुरंग शिवराम कवाथक्कार बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2001 Cr LJ 2792 (SC)।
12. भूरा सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1993 Cri LJ 2636 (Allahabad)।
13. विमुरी वेंकटेश्वर बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, 1992 Cri LJ 563 (A.P.)।
14. राजेश शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2017) 8 SCC 746।
15. अरनेशकुमार बनाम बिहार राज्य, (2014) 8 SCC 273।
16. प्रेमा साजन बनाम केरल राज्य, (2003) 12 SCC 364।
17. "Laws Prohibiting Dowry in India", iPleaders Blog, उपलब्ध: <https://blog.ipleaders.in/laws-prohibiting-dowry-india/> (अंतिम अभिगमन तिथि: 17 अप्रैल 2025)।